मोहनलाल बनाम सीताराम व अन्य

मु.न. 29/18 धारा - 88,188 R.T.A.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...... 6/9/21 को पेश हो	
6/12/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 23/12/21 को पेश हो।	
23/12/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 27/1/22 को पेश हो।	
27/1/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 3/3/22 को पेश हो।	
3/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीपक्ष वकील से प्रा०पत्र 07 R.1 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 24/3/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
24/03/2022.	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों की बहस पूर्व दिनांक को सुनी जा चुकी है; पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता - श्री सनातन पारीक अप्रार्थी अधिवक्ता - श्री राजेश कुमार शर्मा।	

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		द्वारा बहस की गई।
		प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि वादी अप्रार्थी ने वाद के चरण संख्या -8 में यह उल्लेख किया है कि " -
		"यदि किसी अवैधानिक विक्रय पत्र के जरिये उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है तो ऐसा विक्रय पत्र भी वादी के मुकाबले प्रभावशून्य है"
		वादी द्वारा विक्रय पत्र को प्रभावशून्य कराने हेतु वाद इस न्यायालय की सीमा/क्षेत्राधिकार से परे पेश किया है।
		प्रार्थी ने जाहिर किया कि वादी ने अपने वाद पत्र के चरण संख्या - 9 में उल्लेख किया है कि -
		" --- इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या (1) लगायत (5) के संबंध में जानकारी कर उनसे सम्पर्क किया ---"
		किन्तु दावा दायरी एवं वाद कारण उत्पन्न होने की कथित
		उप जिला [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] जिला-जयपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तिथी को प्रतिवादी संख्या-(5) फौत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादी संख्या-5 से सम्पर्क किया जाना संभव नहीं है। अतः वादकारण उत्पन्न होना जैसा वाद पत्र में उल्लेखित है साबित नहीं होता है। वादी का वाद धारा-35 कन्सोलिडेशन एक्ट द्वारा बाधित है। वाद सि.प्र.सं. के आदेश 22 द्वारा भी बाधित है क्योंकि प्रतिवादी संख्या (5) जो कि वाद पेश करने की तिथी को मृत हो चुकी था। अतः वाद क्षेत्राधिकार से परे होने, वादकारण के अभाव में तथा उपरोक्तानुसार विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। अप्रार्थी/प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न नाज़ीर पेश की है— (1) RRT 2010 (2) - 1204 रामस्वरूप बनाम सत्यनारायण (2) RRT 2016 (2) - 1201 जगदीश बनाम नाथू	

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
[illegible] जिला-जोधपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

(3) RRT 2002(1) 584
सांवरमल बनाम शांती देवी

(4) RRD 1989 - 429
छगनलाल बनाम प्रेमचन्द

(5) RRT P-98 2016(2)
पानी बनाम मांगीलाल

(6) RRT. 2012(1) - 293
देवी सिंह बनाम समुन्दर सिंह

अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया है वादी ने जो वादकारण वाद में उल्लेखित किया है वह कई तथ्यों का समुच्चय है वादी का वादकारण वाद में लिखा जाना पर्याप्त है जिसे तनकीयात कायम किया जाकर निर्णित किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी ने बताया है कि एकीकरण ~~BoR - RRT (2001)~~ अधिनियम की धारा - 35 द्वारा वाद बाधित नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर और करेंगे तथा पत्रावली

उप जिला कलक्टर [illegible]
बस्सी जिला-जयपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विविध विवरण
	पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या (5) दावा दायरी की दिनांक से पूर्व फौत हो चुका था ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा पेश किया जाना आदेश - 22 सि.प्र.स. द्वारा बाधित है। वादी द्वारा जिस प्रकार वाद में वादकारण का उल्लेख किया है उस प्रकार वाद कारण उत्पन्न ~~किया~~ होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रतिवादी संख्या (5) ~~फौत हो और कारण~~ वाद कारण की कथित तिथि से पूर्व ही फौत हो चुका था। विक्रय पत्र जिसका उल्लेख वाद में 'प्रभाव शून्य' के रूप में किया गया है वह सक्षम न्यायालय से प्रभाव शून्य घोषित करवाये ~~किन्तु~~ इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस वाद को सुने जाने का नहीं है। अतः यह वाद वादकारण	

[illegible]

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
[illegible] जिला [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		के अभाव आदेश-22 सिप्रस से बाधित होने तथा औपचारिक से पेश होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. स्वीकार किया जाकर वाद को खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश लिखे जाने जाने के उपरान्त एड श्री सियाराम शर्मा एड अ.प ने वादी की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उप जिला कलक्टर एवं [illegible] बस्सी जिला-जयपुर